

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष / दिनांक 31.12.2014

- 1 अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - श्री. ललित कुमार शर्मा
- 2 वर्तमान धारित पद - सहायक प्रमुख, ग्राम विकास अधिकारी
- 3 वर्तमान वेतन - मूल वेतन 35000 - 10, 500 + 1200 = 14700
- 4 अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले, उप संभाग तथा सीमा नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
शमशु निवासी कल्याण पो. खिला मिला न. राहल निजरी (गोशु)	कल्याण	3.21 हे.	80 लाख (गोशु)	स्वयं	शुद्धक	1,00,000	-

- 1 जहां लागू न हो काट दीजिए।
- 2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- 3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर.....
नाम - ललित कुमार शर्मा
पद नाम सहायक प्रमुख, ग्राम विकास

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौर दें।

अभिलेख संघर्ष का विवरण वर्ष / दिनांक 31.12.2014

अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

डॉ. समर शर्मा

वर्तमान धारित पद -

अधिवक्ता, ग्राम निगाह - अहीरा

वर्तमान वेतन - मूल वेतन

25800 - 100800 + 12000

अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले, उप समाग
तहसील तथा ग्राम का
नाम जिसमें संपत्ति
स्थित हो

उस जिले, उप समाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
अरुन्धी प्रेम भाई गिरीश Rishabh	गु-2211/ फाका	—	5.10.0000 अधिसूचना श.क.के L.D. अवधि	कान्त सम्पत्ति/भूमि गु-2211	से अर्जित	—	158000

1 जहां लागू न हो काट दीजिए।

2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर

डॉ. समर शर्मा

नाम - समर शर्मा

पद नाम - अधिवक्ता

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में अपनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके धारित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्यौर दें।

संगठन संगणित्त का विवरण / दिनांक 31.12.2014

अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो -

सुधीर कुमार पांडेय

वर्तमान धारित पद -

सी-एच

वर्तमान वेतन - मूल वेतन

5580 - 10,000 + 12000 - 14700

अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले, उप संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ध्यौर		वर्तमान मूल	यदि धर्म के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी सेवा संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ध्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वाम्बिका, एड, एड	31 गरीब अपन	2 एकड़	5 मरब	अपन	वीरक लक्ष्मण	20,000	-

1 जहां लागू न हो काट दीजिए।

2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3 इसमें अत्यकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ध्यौर दें।

हस्ताक्षर: Pandey

नाम - सुधीर कुमार पांडेय
पद नाम - सी-एच

